न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-106/2022

राज्य

बनाम्

अरविन्द कुमार वगैरह

-: आदेश :-

28/7/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 2258/अप0शा0 दिनांक 14.10.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-173/2022 दिनांक-11.09.2022 से संबंधित है। कांड में जप्त ट्रक रजि0 नं0-JH10AJ-3973 एवं ट्रक रजि0 नं0-NL01G-7984 तथा उसपर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 प्रेम कुमार निषाद, अमरवाडीह पुलिस पिकेट प्रभारी के टंकित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-173/2022 दिनांक 11.09.2022 दर्ज किया गया। पु0अ0नि0 प्रेम कुमार निषाद एवं सशस्त्र बल के द्वारा दिनांक 11.09.2022 को समय करीब-03:10 बजे ग्राम सेरेगड़ा अहरी मोड़ के पास वाहन चेकिंग के क्रम में गणेशपुर की ओर से आ रहे दो वाहन को रूकने का इशारा करने पर पुलिस को देखकर कुछ दूर पहले ही वाहन को खड़ा कर चालक भागने लगे। तत्पश्चात् सशस्त्र बल के सहयोग से वाहन चालकों को पकड़ा गया। सशस्त्र बल के सहयोग से एक-एक कर दोनों वाहनों का जांच किया तो पाया गया कि एक बारह चक्का ट्रक जिसका रजि0 नं0-JH10AJ-3973 चेसीस नं0-MAT466388D3C06502 एवं दूसरा बारह चक्का ट्रक रजि0 नं0-NL01G-7984 चेसीस नं0-MAT466404B3C06341 में करीब 20-20 टन कोयला लदा हुआ है। चालकों से बारी-बारी से नाम पता पुछे जाने पर रजि0 नं0-JH10AJ-3973 के चालक ने अपना नाम अरविन्द कुमार पिता-दर्शन प्रसाद महतो, ग्राम-पोखरिया, थाना-खागा,

जिला–देवघर बताया, जो स्वयं मालिक भी है एवं ट्रक रजि0 नं0–NL01G-7984 के चालक ने अपना नाम सुजित कुमार सिंह, पिता–स्व0 केशो सिंह, ग्राम–कड़गु पटेर, थाना–सदर, जिला–चतरा बताया, जो स्वयं मालिक भी है। दोनों मालिक सह चालक से ट्रक में लदे कोयला से संबंधित कागजात की मांग की गयी, तो उनके द्वारा कोयला से संबंधित कोई कागजात नहीं दिखाया और बताया गया कि उक्त ट्रक में अवैध कोयला लोड है। जप्त दोनों अवैध कोयला लदे ट्रकों को सुरक्षार्थ मुरपा पुलिस पिकेट में रखा गया है। चोरी कर कोयले का अवैध भण्डारण, परिवहन कर व्यापार करना एवं खरीद–बिक्री करना संज्ञेय अपराध है। उक्त दोनों ट्रकों पर लदे कोयला सहित गाड़ी को राजसात करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार–बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से तामिला कराया गया तथा निर्गत नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त ट्रक जिसका रजि0 नं0–JH10AJ-3973 के वाहन मालिक अरविन्द कुमार पिता–दर्शन प्रसाद महतो, ग्राम–पोखरिया, थाना–खागा, जिला–देवघर एवं ट्रक रजि0 नं0–NL01G-7984 के मालिक सुजित कुमार सिंह, पिता–स्व0 केशो सिंह, ग्राम–कड़गु पटेर, थाना–सदर, जिला–चतरा द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद भी उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 नं0–JH10AJ-3973 एवं रजि0 नं0–NL01G-7984 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः जप्त ट्रक जिसका रजि0 नं0– JH10AJ-3973 एवं ट्रक रजि0 नं0–NL01G-7984 एवं उसपर लदे अवैध कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन एवं उसपर लदे कोयला की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात

③

वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/03/17

उपायुक्त,
लातेहार।

28/03/17

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 14:00:31 +05:30
Location: 10.93.47.5